न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, चित्तौड़गढ़

पीठासीन अधिकारी :– इन्द्र सिंह राव, आई.ए.एस.

अपील सं. 231/2016/डिक्री

चांदकंवर पुत्री दौलतसिंह राजपूत
निवासी सोक्या तहसील व जिला चित्तौड़गढ़

–अपीलान्ट

बनाम

1 रणजीत सिंह पिता दौलतसिंह राजपूत मृतक के बजाय–
1. ललित भंवर पत्नि रणजीत सिंह
2. रतन भंवर पुत्र रणजीत सिंह
3. मोर ध्वज पुत्र रणजीत सिंह
4. दुष्यत पुत्र रणजीत सिंह
5. राज भंवर पुत्री रणजीत सिंह
6. प्रियवंदा पुत्री रणजीत सिंह
सभी निवासी आक्या तहसील व जिला चित्तौड़गढ
2. राज्य जरिये भूमिधारी तहसीलदार चित्तौड़गढ़
3. बैंक ऑफ बडौदा शाखा प्रबन्धक बैंक ऑफ बडौदा शाखा बस्सी

–रेस्पोडेन्टस

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955
विरूद्ध निर्णय एवं डिक्री उपखण्ड अधिकारी, चित्तौड़गढ़
दिनांक 30.05.2016 प्रकरण सं. 256/2011

उपस्थित – 1. श्री खूमराज कुमावत – अभिभाषक अपीलान्ट
2. श्री कैलाश चन्द्र शर्मा – रेस्पोडेन्टस

निर्णय दिनांक– 26.10.2017

1. प्रकरण के तथ्य संक्षिप्त मे इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय मे अपीलान्ट/वादी ने वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का प्रस्तुत किया कि अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट संख्या 1 मृतक रणजीतसिंह ने मौजा बस्सी की आराजी नम्बर 718,719,1520 मी0 1521 कुल किता 4 कुल रकबा 0.86 है0 व मौजा सोक्या की आराजी नम्बर 75,76,77,78 कुल किता 4 रकबा 6.83 है0 व आराजी नम्बर 64,65,66,67,68,69,70,71 कुल किता 8 कुल रकबा 9.37 है0 दर्ज रिर्काड पर अपीलान्ट व रेस्पोडेन्अ संख्या 1 व 1/2, 1/2 हक व हिस्से से काबिज होकर उपयोग उपभोग करते चले आ रहे है। राजस्व रिकार्ड मे बंटवाडा नही होने से बंटवाडा कराये जावे व रेस्पोडेन्ट को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द कराया जावे। वादपत्र अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दर्ज

रजिस्टर किया जाकर रेस्पोडेन्टस को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया गया जिस पर रेस्पोडेन्टस अधीनस्थ न्यायालय मे उपस्थित हुए अपनी ओर से जवाब दावा प्रस्तुत किया तत्पश्चात् उक्त पत्रावली तनकियात हेतु नियत की गई। दिनांक 15/20/2012 को महेन्द्रसिंह पिता श्यामसिंह की ओर से पक्षकार मुकदमा बनाये जाने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया। उक्त प्रार्थना पत्र बहस हेतु दिनांक 22/03/2016 चलता रहा उक्त प्रार्थना पत्र मूल पत्रावली का निर्णय हो जाने तक किसी प्रकार का कोई आदेश नही हुआ। उक्त प्रार्थना पत्र पेडिंग रहते हुए दिनांक 29/03/2016 को रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने आदेश 7 नियम 11 का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जो जवाब हेतु नियत था। उक्त पत्रावली लोक अदालत बस्सी मे नियत किया गया जिसकी अपीलान्ट को किसी प्रकार की कोई सूचना नही दी गई, व उक्त पत्रावली मे रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने काउन्टर क्लेम प्रस्तुत किया जिसका जवाब लिये बगैर अपीलान्ट वादी का वादपत्र निरस्त कर रेस्पोडेन्ट प्रतिवादी का काउन्टर क्लेम डिक्री किया जाकर अपीलान्ट वादिया का नाम राजस्व रिकार्ड हटाये जाने की डिक्री पारित कर दी। जो विधि के विरूद्ध है।

2. यह कि अपीलान्ट वादिया व रेस्पोडेन्ट संख्या 1 दोनो स्वर्गीय दौलत सिंह के जायन्दा वारिस है। दौलतसिंह की कृषि आराजीयात मे बराबर के उत्तराधिकारी होने से दोनो 1/2, 1/2 हक व हिस्सा दर्ज किया गया। स्व0 दौलतसिंह की विरासत का नामान्तकरण अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के नाम पर दर्ज किया गया तभी से अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट संख्या 1 उक्त आराजीयात पर काबिज होकर उपयोग उपभोग करते चले आ रहे है। लोक अदालत मे उन्ही प्रकरणो का निस्तारण किया जा सकता है जिसमे दोनो पक्ष उपस्थित होकर राजीनामा प्रस्तुत करते हो। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित विवादित निर्णय व डिक्री दिनांक 30/05/2016 निरस्त फरमायी जाकर अपीलान्ट वादिया का वादपत्र डिक्री फरमाया जावे।

3. दौराने बहस वकील अपीलान्ट ने बयान किया गया कि अधीनस्थ न्यायालय मे वाद मे प्रतिवादी नम्बर 1 द्वारा जवाबदावे मे विशेष कथन किया गया जिसमे यह स्वीकार किया गया है कि चांद कंवर एवं रणजीत सिंह के रिकार्ड मे दर्ज होना बताया है। अन्य एक बहिन गौरी कंवर है जिनके पुत्र महेन्द्र सिंह है। संवत् 2063–68 की जमाबन्दी मे रणजीत व चांद कंवर खातेदार है। पत्रावली दिनांक 28/08/2012 को तनकियात कायम करने हेतु निर्धारित थी। इसी बीच 15 अगस्त 2012 को श्री महेन्द्र सिह द्वारा आदेश 1 नियम 10 सीपीसी के तहत एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत हुआ जिसमे जवाब एवं बहस होनी थी जिसे निर्णित

किये बिना ही आदेश 7 नियम 11 सीपीसी मे प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के माध्यम से कैम्प कोर्ट बस्सी मे निर्णित कर दिया एवं उसी दिन भी काउन्टर क्लेम दे दिया गया। पिता के जीवित रहते पुत्रियों को वर्ष 2005 से भूमि मे हक मांगने का कानून मे परिवर्तन किया गया है। पुत्रो के प्रकरण मे यह पहले से ही लागू है। उन्होने अपने हक मे आरआरडी 1995 पेज 658, आरआरटी 2015 पेज 1077, आरआरडी 1995 पेज 494, आरआरटी 2016 पार्ट I पेज 29, आरआरटी 2012 (1) पेज 350 तथा आरआरटी 2014 (2) पेज 965 की नजीरे पेश की है। इस प्रकार विवचेन प्रस्तुत करते हुए वकील अपीलान्ट द्वारा निवेदन किया गया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय विधि विरूद्ध होने के कारण खारीज होने योग्य है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर प्रकरण रिमाण्ड किया जावे।

4. दौराने बहस वकील रेस्पोडेन्ट ने बयान किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय पारित करने मे किसी प्रकार की विधिक भूल नही की गई है। अतः अपील अपीलान्ट खारीज की जावे। उन्होने अपने पक्ष मे माननीय सर्वोच्च न्यायालय अपील संख्या 7217/2013 अनुवानी प्रकाश एवं अन्य बनाम फुलवती एवं अन्य मे पारित निर्णय की नजीर पेश की।

5. बहस उभयपक्ष सुनी गई एवं मनन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया गया जिससे जाहिर होता है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा श्री महेन्द्र सिंह द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 1 नियम 10 सीपीसी को निर्णित किये बिना ही कैम्प कोर्ट बस्सी मे पक्षकारान को सूचना दिये बिना निर्णय पारित किया गया है। ऐसी सूरत मे अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चित्तौड़गढ़ द्वारा प्रकरण संख्या 256/2011 मे दिनांक 30/05/2016 को पारित निर्णय एवं डिक्री को अपास्त किया जाता है। फलतः अधीनस्थ न्यायालय को प्रकरण मे विस्तृत सुनवाई कर पुनः निर्णय पारित करने हेतु प्रतिप्रेषित किया जाता है। निर्णय सरे इजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसला शुमार होकर नम्बर से कम हो।

(इन्द्र सिंह राव)
आई.ए.एस.
राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़